



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



1 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 90 राँची, मंगलवार,

20 फरवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

5 अक्टूबर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-25/2022-24427 (HRMS)--श्री अमित कुमार, झा०प्र०से०, (चतुर्थ बैच), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लवालौंग, अतिरिक्त प्रभार, कुंदा, चतरा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2283, दिनांक 21.06.2022 के माध्यम से उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-1342, दिनांक 23.10.2021 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री कुमार के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(i) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस वितीय वर्ष 2021-22) में दिनांक 11.10.2021 से 18.10.2021 तक आपके प्रखण्ड में वितीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृति हेतु लंबित लक्ष्य 614 के विरुद्ध आवास की स्वीकृति शून्य है। इनके स्मार के उपरांत भी अपेक्षित प्रगति नहीं की गई है। इस संबंध में स्पष्टीकरण किये जाने पर उसका जवाब भी आपके द्वारा नहीं दिया गया है।

(ii) आपको बार-बार निर्देश के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत लंबित आवासों को पूर्ण कराने में विशेष रुचि नहीं ली जा रही है, जो खेद का विषय है। इस संबंध में खराब प्रगति वाले पंचायतों को चिन्हित कर अभियान चलाते हुए लंबित आवासों को पूर्ण कराने का निर्देश के बावजूद आपके प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कुल लक्ष्य 1490 के विरुद्ध 1106 पूर्ण किया गया है जबकि अभी भी आपके प्रखण्ड में 384 आवास लंबित है। अनेक स्मार के उपरांत भी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत लंबित आवासों को ससमय पूर्ण नहीं कराया गया है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4376, दिनांक 20.07.2022 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक-359, दिनांक 28.07.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) PMAY-G अन्तर्गत आवास प्लस वित्तीय वर्ष 2021-22) में कुंदा प्रखण्ड अन्तर्गत दिनांक 11.10.2021 को स्वीकृत आवासों की संख्या 772 थी जबकि दिनांक 18.10.2021 को स्वीकृत आवासों की संख्या बढ़कर 981 हो गयी। इस प्रकार 11.10.2021 से 18.10.2021 की अवधि में कुंदा प्रखण्ड अन्तर्गत 209 आवासों को स्वीकृत किया गया। दिनांक 18.10.2021 तक उनके द्वारा कुंदा प्रखण्ड के वित्तीय वर्ष 2021-22) के कुल लक्ष्य का 70.78% लाभुकों का आवास स्वीकृत किया गया। दिनांक 16.11.2021 को उनके द्वारा कुंदा प्रखण्ड का प्रभार त्यागा गया, उस समय तक कुंदा प्रखण्ड के वित्तीय वर्ष 2021-22 के कुल लक्ष्य का 87.73% लाभुकों का आवास स्वीकृत कर लिया गया था।

(ii) उनके द्वारा कुंदा प्रखण्ड का प्रभार दिनांक 23.07.2021 को लिया गया। उस समय वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक PMAY-G आवास का पूर्णता प्रतिशत 82.27% था, जो कि चतरा जिले में सबसे नीचले पायदान पर था। साथ ही उस समय तक वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्णता प्रतिशत 48.39% था। दिनांक 16.11.2021 को कुंदा का प्रभार त्यागते समय तक कुंदा प्रखण्ड के PMAY-G वित्तीय वर्ष 2016 से 2021 का पूर्णता प्रतिशत 74.43% था, जो चतरा के अन्य 5 प्रखण्डों यथा हंटरगंज 69.34%, सिमरिया 70.43%, प्रतापपुर 71.76%, कान्हाचट्टी 74.10%, चतरा 70.14% से ज्यादा रहा।

PMAY-G अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016 से 2021 के आवास लंबे समय से लंबित है तथा कई कारणों से इनको पूर्ण करवाने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कुंदा प्रखण्ड भौगोलिक रूप से अति दुरूह नक्सल क्षेत्र है तथा यह आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अत्यधिक पिछड़ा है। इसके बावजूद उनके द्वारा 2021-22 की स्वीकृति एवं 2016-17- 2020-21 के पूर्णता में प्रगति लायी गयी है।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित है कि कुंदा प्रखण्ड के वित्तीय वर्ष 2021-22 के कुल लक्ष्य का 87.73% लाभुकों का आवास स्वीकृत कर लिया गया था। साथ ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुंदा का प्रभार त्याग करने तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत चतरा जिला के अन्य पाँच प्रखण्ड से कुंदा प्रखण्ड का आवास की पूर्णता की प्रतिशत ज्यादा थी।

अतः समीक्षोपरांत श्री अमित कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लवालौंग, अतिरिक्त प्रभार, कुंदा, चतरा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए आरोप मुक्त जाता है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अमित कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	AMIT KUMAR 110053181848	श्री अमित कुमार, झा०प्र०से०, (चतुर्थ बैच), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लवालौंग, अतिरिक्त प्रभार, कुंदा, चतरा को आरोप मुक्त जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
